

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
राष्ट्रीय परिषद सचिवालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद के सचिवालय में संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए (जिसे कार्य-निष्पादन के आधार पर एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है) निम्नलिखित पद हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:

पद का नाम	पद की	अर्हता	अनुभव		आयु समूह	समेकित पारिश्रमिक
			अनिवार्य	वांछित		
परामर्शदाता (नैदानिक प्रतिष्ठान)	1	i. एमबीबीएस, ii. जन-स्वास्थ्य में मास्टर/ अस्पताल प्रबंधन में मास्टर(एमएचए) या किसी अन्य विषय में एमडी/एमएस या समतुल्य या एमबीए(अस्पताल प्रशासन)	i. स्नातकोत्तर अर्हता के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव का आधारभूत ज्ञान	स्वास्थ्य/ अस्पताल प्रशासन/ प्रबंधन का दो वर्ष का अनुभव	30 से 65 वर्ष	75,000/- रुपए और चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातकोत्तर (एमडी/ एमएस/एमएचए) अर्हता के साथ विशेषज्ञता के लिए 95,000/- रुपए

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार सादे कागज पर अपने आवेदन, एक हालिया फोटोग्राफ, अद्यतन बायोडाटा और अर्हता तथा अनुभव संबंधी प्रासंगिक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को प्रातः 10 बजे तात्कालिक साक्षात्कार के लिए कमरा सं. 445-ए विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 में उपस्थित हो सकते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को तात्कालिक साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को उपर्युक्त दस्तावेजों सहित अपने आवेदन की सॉफ्ट कॉपी दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को प्रातः 9 बजे तक dr.anilkumar@nic.in को इमेल द्वारा भी भेजनी होगी। अधिक जानकारी के लिए www.mohfw.gov.in या www.dghs.gov.in या www.clinicalestablishments.gov.in वेबसाइट देखें।

(पद्मजा सिंह)
संयुक्त सचिव

परामर्शदाता का नाम	परामर्शदाता (नैदानिक प्रतिष्ठान)
<p>विचारार्थ विषय</p>	<p>सामान्य विचारार्थ विषय (टीओआर)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. परामर्शदाता (नैदानिक प्रतिष्ठान) की नियुक्ति विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर होगी और परामर्शदाता (नैदानिक प्रतिष्ठान) अपनी नियुक्ति के नियमतिकरण के लिए कोई दावा नहीं करेगा । 2. परामर्शदाता संविदाकर्मियों पर लागू केन्द्रीय सरकार/स्वास्थ्य मंत्रालय के सामान्य प्रशासनिक नियमों से बाध्य होगा तथा वह एक कैलेंडर वर्ष में यथानुपात आधार पर 12 दिन के अवकाश का हकदार होगा और अतिरिक्त अवकाश लेने पर वेतन में कटौती की जाएगी । परामर्शदाता द्वारा हाजिरी लगाई जाएगी । 3. यह नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी जिसमें कार्य का समय प्रातः 9:30 से सांय 6:00 बजे तक होगा । 4. परामर्शदाता, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होंगे और अपर उपमहानिदेशक (एके) या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम और राष्ट्रीय परिषद का कार्य देख रहे संबंधित नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे । आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त सचिव (आर), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय परिषद के सचिव या उनके प्रतिनिधि द्वारा भी उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है । 5. परामर्शदाता द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी । 6. कार्य-निष्पादन की मासिक आधार पर समीक्षा की जाएगी और असंतोषजनक प्रगति होने पर संविदा को समाप्त किया जा सकता है । 7. संविदा को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताए समाप्त किया जा सकता है । 8. परामर्शदाता एक महीने का नोटिस देकर संविदा को समाप्त कर सकता है। ऐसा न करने पर एक महीने का वेतन जब्त कर लिया जाएगा । 9. उसे प्रतिमाह 75,000/- रुपये के समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा । एमबीबीएस के लिए 75,000/- रुपये और चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातकोत्तर अर्हता (एमडी/एमएस/एमएचए) के साथ विशेषज्ञता के लिए 95,000/- रुपये । 10. परामर्शदाता (नैदानिक प्रतिष्ठान) शहर से बाहर आधिकारिक दौरों के लिए 5400/- रुपए के ग्रेड वेतन वाले समूह 'क' अधिकारियों के लिए लागू टीए/डीए पाने का हकदार

होगा, जिसमें एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास की हवाई यात्रा, जहां लागू हो, सम्मिलित है।

विशेष विचारार्थ विषय (टीओआर)

1. राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद की प्रचालन संरचना का रख-रखाव और अद्यतन करना ।
2. राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद के कार्यों के संबंध में तकनीकी दिशानिर्देश और इनपुट प्रदान करना ।
3. राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद को संदर्भित सभी तकनीकी मामलों की जांच करना तथा नोडल अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना और यदि अपेक्षित हो तो राष्ट्रीय परिषद और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत करना ।
4. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर नैदानिक प्रतिष्ठानों के विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण को अंतिम रूप देना और अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना ।
5. नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण हेतु ऑनलाइन प्रणाली के विकास को सुगम बनाना ।
6. प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर नैदानिक प्रतिष्ठान की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम मानकों को अंतिम रूप देना और सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना। अनुमोदन के पश्चात, आवश्यकता अनुसार नियत समय में इसे अधिसूचित कराना ।
7. विशेषज्ञों/पेशेवर समुदायों के परामर्श से नए मानक उपचार दिशा-निर्देशों का आलेखन तथा मौजूदा मानक उपचार दिशा-निर्देशों की समीक्षा और अद्यतन करने का कार्य ।
8. राष्ट्रीय परिषद और इसकी उपसमितियों/उप-समूहों की बैठकों का आयोजन कराना और कार्यवृत्त, आदि रिकार्ड करना । राष्ट्रीय परिषद/उपसमितियों/उपसमूहों की बैठकों के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई करना ।
9. संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के समन्वय से सूचनाओं के प्रसार, जागरूकता निर्माण, उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए कार्यशालाओं या बैठकों का आवश्यकतानुसार आयोजन करना, और यदि आवश्यक हो तो संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करना ।
10. अधिनियम के कार्यान्वयन और नैदानिक प्रतिष्ठानों हेतु न्यूनतम मानकों के अनुपालन के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विकास सहित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

	<ol style="list-style-type: none">11. नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम और उसके अधीन नियमों के उचित कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय करना ।12. सभी संसदीय मामलों, प्रश्नों तथा आरटीआई, आरटीआई अपीलों, इत्यादि का उत्तर तैयार करना ।13. नैदानिक प्रतिष्ठानों से संबंधित न्यायालयी मामलों में कानूनी सहायक की मदद से जवाब, टिप्पणियां, प्रारूप हलफनामा तैयार करना ।14. नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु सुविधाओं/बजट स्वीकृति के लिए मंत्रालय के एनएचएम प्रभाग और राज्यों से समन्वय करना ।15. नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम, जहां भी लागू हो, के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पीआईपी की सांख्यिकीय सहायक के साथ समीक्षा करना और तदनुसार एनएचएम प्रभाग को टिप्पणियां प्रस्तुत करना ।16. नैदानिक प्रतिष्ठानों के राष्ट्रीय रजिस्टर का संकलन और प्रकाशन कराना ।17. राष्ट्रीय परिषद के निदेशानुसार नैदानिक प्रतिष्ठानों के संबंध में आंकड़ों के संग्रहण को सुगम बनाना।18. अधिनियम से संबंधित मामलों के बारे में राष्ट्रीय परिषद और राज्यों का मार्गदर्शन करना ।19. राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य ।
--	---